न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—159/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/159)

1. भंवरलाल पुत्र श्री लादू, उम्र 65 वर्ष जाति कुमावत, निवासी ग्राम नयागांव बघेरा, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र श्री धन्ना जाति कुमावत
2. लाखाराम पुत्र श्री गोविन्दा जाति कुमावत
3. मोतीलाल पुत्र श्री गोविन्दा जाति कुमावत
4. होमाल पुत्र श्री गोविन्दा जाति कुमावत
   सभी बालिग निवासी ग्राम नयागांव बघेरा तहसील केकडी

रेस्पोडेंट्स

5. कल्याण पुत्र श्री छोगा कुमावत
6. कमला पत्नी श्री कालू कुमावत
7. राधा पत्नी श्री अम्बालाल कुमावत
   सभी बालिग निवासी ग्राम नयागांव बघेरा तहसील केकडी।
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.04.2023 राजस्व वाद संख्या 96/2022

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 08
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 31.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 96/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मय राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रत्यार्थीगण अपीलार्थी की आराजीयात के पडौसी है तथा अपनी आराजीयात पर काबिज है। अपीलार्थी प्रत्यार्थी की आराजीयात को हडप करना चाहता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मौके पर किसी प्रकार के मुटाम लगे हुए नहीं है। मौका रिपोर्ट प्रत्यार्थी को बिना जानकारी दिए तथा बिना उनकी उपस्थिति के बनाई गई। अपीलार्थी का कोई प्राईमाफेसाई केस नहीं है। अपीलार्थी को कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 6.4.2023 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया गया परंतु उक्त आदेश के पूर्व प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा जबरन अपीलार्थी की आराजीयात में अवैध व अनाधिकृत रूप से करीब पांच फुट की लंबाई में प्रवेश कर लिया गया जिससे उपखण्ड अधिकारी, केकडी का आदेश निष्फल हो जाने के करण अपीलार्थी व्यथित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 96/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलार्थी एंव प्रत्यार्थी के मध्य मूल रुप से आराजीयात का सीमा विवाद है। अपीलार्थी ने प्रत्यार्थी संख्या 1 व अन्य के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 229/2021 (2021/449) भंवरलाल बनाम गोविन्दा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–11–2021 को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1377 पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मौके की यथास्थिति किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिससे वादग्रस्त आराजी के मौके के सम्बन्ध में विवाद बढने की प्रबल सम्भावना है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की यथास्थिति किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25–11–2021 की पालना में तहसीलदार केकडी के आदेश क्रमांक/भूअ/2022–41/ दिनांक 15–03–2022 की पालना में वादग्रस्त आराजी पर पत्थरगढी किये जाने हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का मौके पर गये तथा अपीलार्थी, प्रत्यार्थी संख्या 1 के पुत्र मोतीलाल (जो कि वर्तमान प्रकरण में प्रत्यार्थी संख्या 3 है) तथा अन्य खातेदारान की उपस्थिति में जरीब चलाकर पत्थरगढी की जाकर निशान कायम किये गये। उक्त मौका पर्चा पर उपस्थिति मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गये उक्त मौका पर्चा अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति किये जाने से वादग्रस्त आराजी के मौके पर विवाद बढने की प्रबल सम्भावना है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की यथास्थिति किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रत्यार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार के मुटाम वगैरह लगे हुए होने तथा मौका रिपोर्ट होने से इन्कार किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में आराजीयात की सीमा से सम्बन्धित विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सीमा विवाद के वास्तविक निस्तारण के लिये सक्षम अधिकारी तहसीलदार केकडी से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की जाकर वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया जिससे वादग्रस्त आराजी के मौके पर विवाद बढने की प्रबल सम्भावना है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की यथास्थिति किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी तथा प्रत्यार्थी संख्या 5 लगायत 7 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 1380 के बाबत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 मय राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरण का एक ही दिनांक 06–04–2023 को निस्तारण किया जाकर एक समान आदेश पारित किया गया जिस कारण प्रत्यार्थी आक्षेपित आदेश का अनुचित लाभ करने का अनुचित प्रयास किया जा रहा है जिससे वादग्रस्त आराजी के मौके पर विवाद बढने की प्रबल सम्भावना है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की यथास्थिति किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06–04–2023 की आड में प्रत्यार्थी संख्या 1 से 4 अपीलार्थी की खातेदारी आराजीयात में जबरन, अवैध व अनाधिकृत रुप से करीब पांच फुट की लम्बाई में प्रवेश किया जाकर अवैध कब्जा किये जाने पर आमादा है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की यथास्थिति किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 96/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी है तथा अपनी आराजीयात के चारों ओर डोल डलवाकर तारबन्दी करवायी जाकर काबिज है। अतः प्रार्थी को उसकी आराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा डालने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजीयात को नाजायज एवं अवैध रूप से हडप करना चाहता है तथा इसी आशय से यह प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। मौके पर कोई मुटाव वगैरह लगे हुए नहीं है तथा इस प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट बनायी गई है तो वह बिना अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की जानकारी व उपस्थिति में बनायी गई है जो गलत है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को हैरान परेशान करने के आशय से नाजायज रूप से अप्रार्थीगण की जमीन हडपने के आशय से झूठा मनगढंत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है तथा आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

से यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 22.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किए गए। दिनांक 7.7.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। दिनांक 6.4.2023 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.4.2023 को किए गए निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। चूंकि खसरा संख्या 1377 रकबा 0.57 है0 किस्म बारानी–2 का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु अपीलांट के पक्ष में बखूबी सिद्ध होने से उनके द्वारा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात की पत्थगढी करवाने बाबत आदेश पारित किए गए चूंकि एक खातेदार/काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजीयात में पत्थरगढी करवाने के हक व अधिकार है। प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता नहीं बढे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिससे प्रकरण में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 को स्वीकार कर मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश दिनांक 6.4.2023 को पारित किए गए जो उचित है परंतु अपीलांट द्वारा उक्त अपील में कहे गए कथनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मौके की यथास्थिति किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिससे वादग्रस्त आराजी के मौके के सम्बन्ध में विवाद बढने की प्रबल सम्भावना है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की यथास्थिति किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलांट द्वारा कहे गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा चाहे गए समस्त अनुतोष पूर्व में ही प्रदान

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किए जा चुके है व उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किए जाने व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किए जाने के बावजूद प्रकरण में किसी प्रकार की बाद बहुलता होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 96/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

31/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner